महोबा पुलिस

दिनांक- 11.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 534/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 11.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 11.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 535/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में थाना श्रीनगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष थाना श्रीनगर द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह मय रि0म0का0 शिल्पा द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्ताओं 1. मुस्कान पत्नी अक्षयलाल, निवासी कबूतरा डेरा ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा, सम्बन्धित केस नं0 2057/2021, अ0सं0 222/2020, धारा 60 आबकारी अधिनियम तथा 2. संगीता पत्नी पप्पू कबूतरा, निवासी कबूतरा डेरा ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा, सम्बन्धित केस नं0 136/2022, अ0सं0 110/2021, धारा 60 आबकारी अधिनियम एवं केस नं0 144/2022, अ0सं0 88/2021, धारा 60 आबकारी अधिनियम को ग्राम ननौरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर दोनों वारण्टी अभियुक्ताओं को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

1. मुस्कान पत्नी अक्षयलाल, निवासी कबूतरा डेरा ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. संगीता पत्नी पप्पू कबूतरा, निवासी कबूतरा डेरा ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह, थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. रि0म0का0 शिल्पा, थाना श्रीनगर जनपद महोबा

दिनांक- 11.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 536/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा मय हमराह रि0का0 दीपक कुमार द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़, जिला महोबा द्वारा निर्गत मुकदमा सं0 647/2018, धारा 323/324/504/506 भा0द0वि0, थाना महोबकंठ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त भागीरथ पुत्र चेतराम, निवासी ग्राम नैपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम नैपुरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

भागीरथ पुत्र चेतराम निवासी ग्राम नैपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

संबंधित वाद का विवरण-

मुकदमा सं0 647/2018

धारा 323/324/504/506 भा0द0वि. थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. रि0का0 दीपक कुमार, थाना महोबकंठ जनपद महोबा

दिनांक- 11.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 537/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना चरखारी

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान (वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब/जुआ/गांजा/अवैध शस्त्र की बरामदगी) के क्रम में थाना चरखारी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना चरखारी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा मय हमराह कां0 आशीष कुमार भारती द्वारा आज दिनांक 11.08.2026 को 01 नफर अभियुक्त जयसिंह पुत्र घनश्याम राजपूत उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम करहरा खुर्द थाना चरखारी जनपद महोबा को ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 सफेद रंग की बोरी में 15 अदद क्वार्टर देशी शराब ब्राण्ड "झूम" नाजायज बरामद की गई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 175/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

जयसिंह पुत्र घनश्याम राजपूत उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम करहरा खुर्द थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी :-

अभियुक्त के कब्जे से 01 सफेद रंग की बोरी में 15 अदद क्वार्टर देशी शराब ब्राण्ड "झूम" नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा
2.कां0 आशीष कुमार भारती